न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राज.

प्रकरण संख्या 14/22 दायरा दिनांक 22/06/2022

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

1. रामकन्या पत्नि श्रीकिशन उम्र 40 वर्ष जाति किराड निवासी पाजनटोरी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
2. रूबी पत्नि पर्वतसिंह उम्र 40 वर्ष जाति किराड निवासी पाजनटोरी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

– प्रार्थीगण

बनाम

1. माना पुत्र करोडी जाति जाटव निवासी भोयल तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
2. सुरेश पुत्र रूगनाथ जाति किराड निवासी भोयल तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
3. महावीर पुत्र रूगनाथ पत्नि कन्हैया जाति किराड निवासी भोयल हाल निवासी राजपुर तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
4. रम्मा पुत्री रूगनाथ जाति किराड निवासी भोयल तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान हाल निवासी खरई तहसील कोलारस जिला शिवपुरी म. प्र.

– प्रतिवादीगण

प्रार्थनापत्र – अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक– 03.04.2024

उपस्थित– श्री हेमराज नामदेव एडवोकेट – प्रार्थीगण की ओर से

श्री अजय अग्रवाल एडवोकेट – अप्रार्थीगण की ओर से

प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर अपने खाते की आराजी खसरा संख्या 549 रकबा 5.12 बीघा ग्राम भोयल तहसील शाहावाद पर आने–जाने के लिये 12 फिट चौडा रास्ता अप्रार्थी कम 1 की खातेशुदा भूमि खसरा संख्या 545 रकबा 5.10 बीघा व अप्रार्थी कम 2 लगायत 5 की खातेशुदा भूमि खसरा संख्या 546 रकबा 2.05 बीघा स्थित ग्राम भोयल तहसील शाहावाद की पश्चिमी मेढ के सहारे दिलाये जाने बावत प्रस्तुत किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। तहसीलदार शाहावाद से मौके की रिपोर्ट मंगाई गइ। अप्रार्थीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता जबाव प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण को वांछित रास्ते की कोई आवश्यकता नहीं होना पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में दर्ज किया गया है, प्रार्थीगए के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद होना पटवारी रिपोर्ट से प्रमाणित होता है, इसके बाद भी प्रार्थीगण सुविधाजनक रास्ता चाहते हैं तो खसरा नंबर 547 व 548 की पूर्वी मेढ से होकर मांगना चाहिये। प्रार्थी कम 2 रूबी [illegible]रा नंबर 549 रकबा 5.12 बीघा में से 3.12 बीघा पश्चिमी हिस्से की खातेदार है राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2024.05.28 13:03:40 IST
Reason: SelfAttested

03/04/2024
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.

CamScanner

कारण प्रार्थी कम 2 को अप्रार्थीगण की भूमि से कोई रास्ता मांगने का अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि खसरा नंबर 549 सन 2020 में अंगद से कय की है और अंगद उक्त भूमि पर खसरा नंबर 558 व 566 की पूर्वी मेढ से आता जाता रहा है, प्रार्थीगण गलत तथ्यों पर रास्ते की मांग कर रहे हैं।

धारा 251–A में वर्णित प्रावधान अनुसार किसी अभिधारी या अभिधारियों के किसी समूह को अपनी जोत या, यथास्थित, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिये अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग प्राप्त करने के लिये आवेदक को निम्न दो तथ्यों को साबित करना आवश्यक है –

(1) वांछित मार्ग केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नहीं है।

(2) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है।

उक्त दोनो बिन्दुओं के आलोक में हस्तगत प्रकरण को देखने पर दृष्टिगोचर होता है कि प्रार्थीगण ने ग्राम भोयल तहसील शाहावाद स्थित अपनी खातेशुदा भूमि खसरा संख्या 549 रकबा 5.12 बीघा पर आने जाने के लिये अप्रार्थी कम 1 की खातेशुदा आराजी खसरा संख्या 545 रकबा 5.10 बीघा व अप्रार्थी कम 2 लगायत 5 की खातेशुदा आराजी खसरा संख्या 546 रकबा 2.05 बीघा पश्चिमी मेढ के सहारे 12 फिट चौडा रास्ता प्रदान किये जाने का आग्रह किया है। तहसीलदार शाहावाद द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 28.04.2023 के बिन्दु संख्या 1 में प्रार्थी को आराजी पर पहुंचने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होना बतलाया गया है। अप्रार्थीगण का कथन रहा है कि प्रार्थीगण ने आराजी खसरा संख्या 549 अंगद से कय की है और अंगद पूर्व से ही खसरा संख्या 549 पर आराजी खसरा संख्या 558 व 566 की पूर्वी मेढ का उपयोग करता रहा है, अप्रार्थी ने इस कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है और ना ही तहसीलदार की रिपोर्ट में अथवा रिकार्ड में उक्त रास्ते का कोई उल्लेख है, ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण का उक्त कथन निराधार प्रतीत होता है। इस प्रकार प्रार्थीगण वांछित रास्ते की आवश्यकता होना प्रमाणित करने में सफल रहे हैं।

अतः उक्त विस्तृत विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र धारा 251–A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को ग्राम भोयल तहसील शाहावाद स्थित आराजी खसरा संख्या 549 रकबा 5.12 बीघा पर आने जाने के लिये अप्रार्थी कम 1 की खातेशुदा आराजी खसरा संख्या 545 रकबा 5.10 बीघा व अप्रार्थी कम 2 लगायत 5 की खातेशुदा आराजी खसरा संख्या 546 रकबा 2.05 बीघा ग्राम भोयल तहसील शाहावाद की पश्चिमी मेढ के सहारे 12 फिट (4 मीटर) चौडा रास्ता प्रदान किया जाता है। तहसीलदार शाहावाद की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी कम 1 की खातेशुदा आराजी खसरा संख्या 545 रकबा 5.10 बीघा में से पश्चिमी लम्बाई 60 मीटर X चौडाई 4 मीटर [illegible] वर्गमीटर तथा अप्रार्थी कम 2 लगायत 5 की खातेशुदा आराजी [illegible] 2.05 बीघा में से पश्चिमी लम्बाई 72 मीटर X चौडाई 4 मीटर कुल 28[illegible] वर्गमीटर भूमि प्रदत्त रास्ते के

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2024.05.28 13:03:40 IST
Reason: SelfAttested

03/04/2024
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

CamScanner

माप अन्तर्गत आती है, जिसकी वर्तमान डी.एल.सी. दर अनुसार कुल कीमत की दोगुनी राशि बतौर प्रतिकर प्रार्थीगण नियमानुसार जरिये तहसीलदार अप्रार्थीगण को अदा करें, बाद अदायगी प्रतिकर राशि तहसीलदार शाहावाद आराजी खसरा संख्या 545 रकबा 5.10 बीघा में से लम्बाई 60 मीटर X चौडाई 4 मीटर कुल 240 वर्गमीटर भूमि पश्चिमी तथा आराजी खसरा संख्या 546 रकबा 2.05 बीघा में से लम्बाई 72 मीटर X चौडाई 4 मीटर कुल 288 वर्गमीटर भूमि पश्चिमी को राजस्व अभिलेख में "रास्ता" के रूप में दर्ज करें, रास्ता के रूप में प्रदत्त उक्त भूमि पर प्रार्थीगण आने जाने के अलावा अन्य कोई अधिकार अर्जित नहीं कर सकेंगे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 03.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

03/04/2024

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2024.05.28 13:03:40 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner